छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–21/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 02/08/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:– आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.309 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:– 1.विभागीय पत्र क्र. एफ 7–22/2009/10–2, दिनांक 22.06.2018।
2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए/115–908/1640, दिनांक 12.07.2023।

---000---

विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् सामान्य अनुमोदन के अंतर्गत अनुमति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के प्रकरणों के प्रसंस्करण हेतु राज्य शासन द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से 21 बिंदुओं की चेक लिस्ट का अनुमोदन किया गया है।

2/– संदर्भित पत्र क्र. 1 द्वारा निर्धारित 21 बिंदुओं की चेक लिस्ट के बिंदु क्र. 21 में निम्न प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना अनिवार्य किया गया है :–

राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा।

3/– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से उक्त बिंदु पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुशंसा प्रदाय न करते हुए निम्नानुसार लेख किया गया है :–

प्रस्तावित क्षेत्र में से आरक्षित वन का रकबा 0.468 हे. संरक्षित वन भूमि का रकबा 0.727 कुल रकबा 1.195 हे. क्षेत्र गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आता है। वनमंडलाधिकारी, कोरिया के कथन अनुसार इस क्षेत्र के संबंध में दिये गये आदेश के परिपालन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर से अभिमत प्रदाय करने हेतु वनमंडलाधिकारी, कोरिया वनमंडल द्वारा पत्र क्रमांक 166 दिनांक 30.01.2023 द्वारा अनुरोध किया गया है। अभिमत प्राप्त होने के उपरांत पृथक से भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

4/– अतः आदेशानुसार निवेदन है कि, कृपया संदर्भित पत्र क्र. 1 के द्वारा अनुमोदित 21 बिंदुओं की चेक लिस्ट के बिंदु क्र. 21 के तहत् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से अभिमत प्राप्त कर शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(के.पी.राजपूत) 2.8.23
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः 2

D/FCA/ Latter-N/Lalit

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–21 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02 / 08 / 2023

प्रतिलिपि :–

1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

3.मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।

4.वनमंडलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, कोरिया, छत्तीसगढ़।

5.आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल,विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग